

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।

भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या..536../2023

30.09.2023

आवेदक श्री राजकुमार साव पिता भुनेश्वर साव, साकिन-बेहराडीह, पोस्ट-सरमाटाड़, थाना-जयनगर, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	किस्म
झलपो	01	2	291	1.25 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक ...07/..10...../2023 को प्रस्तुत करें।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

07.10.2023

अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-झलपो, थाना नं०-01 खाता सं०-2, प्लॉट, सं०-291, रकबा-5 डी० भूमि पंजी-II के पृष्ठ संख्या-91 भाग संख्या-12 पर 1. श्री राजकुमार साव 2. लक्ष्मण कुमार साव 3. श्री गोपाल साव सभी के पिता भुनेश्वर साव के नाम से ऑनलाईन जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में दा० खा० वाद सं०-32/2018-19 दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है। उक्त भूमि केवाला सं०-313 दिनांक-24.01.2018 द्वारा हासिल है। भूमि रैयती खाते की है। शपथ पत्र संख्या-108 एवं 109 दिनांक 11.09.2023 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय में सुरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधिसम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

07. आवेदक द्वारा अपने दावे के संबंध में निम्नांकित कागजात प्रस्तुत किया गया है :-

- (1.) केवाला सं०-313 दिनांक 24.01.2018 की छायाप्रति।
- (2.) ऑनलाईन पंजी-2 पृष्ठ सं०-91/12 की छायाप्रति।
- (3.) लगान वर्ष 2021-22 की छायाप्रति।
- (4.) शपथ पत्र सं०-109 दिनांक-11/09/2023, शपथ पत्र सं०-108 दिनांक-11/09/2023 की मूल प्रति।

08. यदि जमाबंदी विक्रेता के स्वयं के नाम पर दर्ज नहीं है तो आवेदक द्वारा

(क) वंशावली दी गई है अथवा नहीं :- N.A.

(ख) अन्य हिस्सेदारों का अनापत्ति प्राप्त है अथवा नहीं :- हाँ प्राप्त है।

09. प्रश्नगत भू-खण्ड भू-हदबंदी/भवन लीज या सरकारी संस्था की नहीं है तथा छोटानागपुर अधिनियम 1908 एवं इसके नियमों के अन्तर्गत भूमि के हस्तांतरण पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। नहीं

10. हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का स्पष्ट मंतव्य :- मौजा-झलपो, थाना नं०-01 के खाता सं०-02, प्लॉट सं०-291, रकवा- 05 डी० की भूमि केवाला सं०-313 दिनांक 24.01.2018 के द्वारा श्री लक्ष्मण कुमार साव, श्री राज कुमार साव, श्री गोपाल साव, सभी के पिता-भूनेश्वर साव प्राप्त है। मौजा-झलपो, थाना नं०-01 के ऑनलाईन पंजी-2 के पृष्ठ सं०- 91/12 पर खाता सं०-02, प्लॉट सं०-291, रकवा- 05 डी० श्री लक्ष्मण कुमार साव, श्री राज कुमार साव, श्री गोपाल साव, सभी के पिता-भूनेश्वर साव के नाम से जमाबंदी दर्ज है। भूमि रैयती खाते की है। आम इस्तेहार में आपत्ति प्राप्त नहीं होने के पश्चात् मौजा-झलपो, थाना नं०-01 के खाता सं०-02, प्लॉट सं०-291, रकवा- 01.25 डी० भूमि के निबंधन की स्वीकृति दी जा सकती है।

हस्ताक्षर
अंचल निरीक्षक

हस्ताक्षर
राजस्व उप-निरीक्षक
नाम-
हल्का संख्या- १११.